संख्या-727/2026/3096/22-2-2023-17(1015)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवध कुमार शर्मा उर्फ पुद्दू पुत्र श्री राम पियारे, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023), दिनांक 24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवध कुमार शर्मा उर्फ पुद्दू पुत्र श्री राम पियारे, जो ग्राम-गोगौरा, थाना-मवई, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। दिनांक 06.09.2006 को बन्दी ने 08 वर्षीय दीपान्शु उर्फ बन्टी के साथ आप्राकृतिक गुदा मैथुन के उपरान्त हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-281/2006, धारा-364, 377, 201, 302 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी-02, फैजाबाद के आदेश दिनांक 06.04.2007 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 16.08.2012 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) एसटी नं0-186/2002, धारा-304 आईपीसी में षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 03.11.2007 द्वारा 10 वर्ष कारावास । (3) एसटी नं0-253/2001, धारा-354 आईपीसी व 3(1)(2) एस.सी/एस.टी एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 18.07.2009 द्वारा 01 वर्ष 06 माह का कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 26.05.2023 तक 16 वर्ष, 08 माह, 15 दिन की अपरिहार अजा तथा 18 वर्ष, 06 माह, 24 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला दुर्लभ श्रेणी में होने, रिहा होने पर भविष्य में पुनः घटना कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 06.09.2006 को बन्दी ने 08 वर्षीय दीपान्शु उर्फ बन्टी के साथ अप्राकृतिक गुदा मैथुन के उपरान्त हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अवध कुमार शर्मा उर्फ पुद्दू पुत्र श्री राम पियारे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

www.shasanadesh.up.gov.in

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवध कुमार शर्मा उर्फ पुद्दू (बन्दी संख्या-282/2014) पुत्र श्री राम पियारे, निवासी जनपद-बाराबंकी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-727/2026/3096(1)/22-2-2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-727/2026/3096/22-2-2023-17(1015)/2023

दिनांकः 10 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवध कुमार शर्मा उर्फ पुद्दू पुत्र श्री राम पियारे, जो ग्राम-गोगौरा, थाना-मवई, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। दिनांक 06.09.2006 को बन्दी ने 08 वर्षीय दीपान्शु उर्फ बन्टी के साथ आप्राकृतिक गुदा मैथुन के उपरान्त हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-281/2006, धारा-364, 377, 201, 302 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी-02, फैजाबाद के आदेश दिनांक 06.04.2007 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 16.08.2012 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) एसटी नं0-186/2002, धारा-304 आईपीसी में षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 03.11.2007 द्वारा 10 वर्ष कारावास । (3) एसटी नं0-253/2001, धारा-354 आईपीसी व 3(1)(2) एस.सी/एस.टी एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 18.07.2009 द्वारा 01 वर्ष 06 माह का कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 26.05.2023 तक 16 वर्ष, 08 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 06 माह, 24 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला दुर्लभ श्रेणी में होने, रिहा होने पर भविष्य में पुनः घटना कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 06.09.2006 को बन्दी ने 08 वर्षीय दीपान्शु उर्फ बन्टी के साथ अप्राकृतिक गुदा मैथुन के उपरान्त हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अवध कुमार शर्मा उर्फ पुद्दू पुत्र श्री राम पियारे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in